न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीना आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 163/2022

1. गुरदर्शन सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरबन्श सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. नवजोत सिंह पुत्र श्री गुरा सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संजय जनवेजा – प्रार्थी
2. अप्रार्थी स्वयं – अप्रार्थी 1 व 2
3. पैरोकार राज – अप्रार्थी 3

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.01.2023

प्रार्थी द्वारा जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/15 का मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.024 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज खातेदारी राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी का पता वही है, जो कि प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर इसी चक 7 जैड मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5, 4/1, 3 के 0.019–0.019–0.019 है० रकबा में से होकर अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2 में प्रवेश करता है। मगर किला नम्बर 5 व 4/1 का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र सिंह का व किला नम्बर 3 का रकबा अप्रार्थी संख्या 2 नवजोत सिंह नाम से खातेदारी होने के कारण वह प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में पहुंचने व कृषि औजार के परिवहन का एकमात्र रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर वह हमेशा टाल–मटोल करते रहे, मगर अब प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थीगण सहमति से रास्ता नहीं देना चाहते है। प्रार्थी द्वारा गांव के मौजूज व्यक्तियों की पंचायत साथ ले जाकर दिनांक 15.09.2022 को अप्रार्थीगण से रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की तो उन्होने सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया है तथा प्रार्थी को धमकी है कि हम इस रास्ता को बन्द करेगें । यदि अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता को बन्द कर दिया तो प्रार्थी के रकबा में आने जाने का एकमात्र विकल्प समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को बन्द करने से व प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करने से निषिद्ध रहें । प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक अथवा स्वीकृत रास्ता नहीं है, प्रार्थी द्वारा केवल कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:49 IST
Reason: SelfAttested

के सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ता की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि प्रार्थी को अपने रकबा में आने–जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना– पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थी को उसके रकबा में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के रकबा चक 7 जैड के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3, 4/1, 5 (प्रत्येक बीघा में 0.019 हैक्टेयर) रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता दर्ज करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा 28.10.2022 को इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह सही है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर इसी चक 7 जैड मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5, 4/1, 3 के 0.019–0.019–0.019 है० रकबा में से होकर अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2 में प्रवेश करता है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 आंशिक स्वीकार है । यह सही है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य रास्ता को लेकर विवाद था, मगर अब अप्रार्थीगण का प्रार्थी के साथ राजीनामा हो गया है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को रास्ता की एवज में क्षतिपुर्ति राशि अदा कर दी है जो कि अप्रार्थीगण ने प्राप्त कर ली है, अतः यदि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अब प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद समाप्त हो चुका है। अतः इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थी को उसके रकबा में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के रकबा चक 7 जैड के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3, 4/1, 5 (प्रत्येक बीघा में 0.019 हैक्टेयर) कुल 0.057 हैक्टेयर रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता दर्ज करवाया जावे। इसमें अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है, अप्रार्थीगण सहमत हैं।

तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 2457 दिनांक 25.11.2022 के रिपोर्ट पेश की गई।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गए कि प्रकरण में रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत समस्त पक्षकारान आपस में सहमत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पास रास्ते का अभाव है एवं रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है एवम् प्रार्थी व अप्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि की डीएलसी की दुगनी राशि/प्रतिफल नहीं लेने में सहमत है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्योचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 जैड के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3, 4/1, 5 (प्रत्येक बीघा में 0.019 हैक्टेयर) रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर